आदेश

जनपद अल्मोड़ा में तराडी–डभरा–शशिखाल मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.905 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 9.81 है0 सिविल भूमि का नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–2,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II) /2012-18(120)/ 2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के अनुरोध के कम में उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़ द्वारा अपने पत्र संख्या 136/एस0टी0/2024–25, दिनांक 08 नवम्बर,2024 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक- वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की खतौनी,खसरा,नक्शा, व प्रारूप–2 पर आख्या एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/132/2016/एफ.सी./1527, दिनांक 30–12–2016 के द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण के लिए ग्राम बन्द्राण बसनाल राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कूपी, तहसील सल्ट खुमाड़, जिला अल्मोड़ा के गैर ज०वि०खतौनी खाता संख्या–16 बसरह सं0 01 श्रेणी 9(3)ड़ के खेत संख्या 05 रकवा 4.265 है0, खेत संख्या 06 रकवा 4.956 है0 एवं खेत संख्या 07 मध्ये रकवा 0.589 है0 इस प्रकार कुल रकवा 9.810 है0 सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/ नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, सल्ट खुमाड़ तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 08 नवम्बर,2024

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोडा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–1019 /ग्यारह–02 /2024–25 दिनांकः 11 नवम्बर,2024

प्रतिलिपिः निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़।
4– तहसीलदार, सल्ट खुमाड।
5– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोडा।

गैर जमींदारी विनाश खतौनी उद्धरण ग्राम बन्नूडा/बानलाल... पटवारी क्षेत्र झूपी......
तहसील लमगड़ा जिला अल्मोड़ा।

श्रेणी— 9(3)ड. (बंजर काबिल आबाद)

खाता संख्या	खातेदार का नाम	फसली वर्ष	खेत नम्बर	रकबा (है0)	लगान	विवरण
16 (54)	व0 वि0 भूमि (उत्तराखण्ड सरकार)		01	0.110		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं0-208/उपवि-01/2015-16 दि0-13 अक्टूबर 2015 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर-धौलछीना-महादेव-सेराघाट-मिर्दिणतोला-भनोली तक प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 13.842 है0 वन भूमि के सापेक्ष दुगने सिविल भूमि को नियमानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बन्नूडा बानलाल के गैर ज0वि0 खाता सं0-54 की श्रेणी 9(3)ड. (बं0 का0 आ0) के पैमाइशी खेत नं0 640 मध्ये 5.764 है0, खेत नं0-647 मध्ये 1.810 है0 खेत सं0 667 मध्ये 4.852 है0 खेत सं0-666 मध्ये 4.640 है0 खेत सं0-689 रकबा 0.574, खेत सं0-699 मध्ये 7.007 है0 खेत सं0-691 मध्ये 0.675 है0 खेत नं0 880 मध्ये 8.372 है0 कुल-27.684 है0 भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है।
			02	0.063		
			03	0.153		
			04	0.064		
			05	4.265		
			06	4.956		
			07	4.575		
			15	0.374		
			↓	↓		
			843	0.120		ह0 अप0 रा0 उप निरीक्षक ता0 22-12-2015
			850	0.371		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा के आदेश पत्र सं0 1049/पन्द्रह-01/2014-15 दि0-11 नवम्बर 2014 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में ल्वाली-स्याल्दे-शामखोला मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित 4.905 है0 वन भूमि के सापेक्ष दोगुनी सिविल 9.810 है0 सिविल भूमि खाता मध्ये खेत संख्या-05 रकबा 4.265 है0 खेत सं0-06 रकबा 4.956 है0 एवं खेत सं0-07 मध्ये रकबा 0.589 है0 कुल-9.810 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है।
			857	1.527		
			859	0.564		
			879	0.486		
			880	8.372		
योग			86 (खेत)	62.732		

ह0 रा0 उ0 नि0
ता0 झूपी

महोदय,
नकल मुताबिक असल के तैयार की गयी।

ह0
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र- झूपी
तह0- लमगड़ा

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner